न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः—149/2019 (GCMS No. 2019/000154) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीमती दरवीदेवी पुत्री स्व. सूका पत्नी हीरालाल जाति माली निवासी हजारिया की कोठी हाल निवासी करसौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. किरोडी पुत्र स्व. मूला जाति माली निवासी हजारिया की कोठी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन जिला करौली।

..... रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 22.03.2013 अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 84/12 उनवानी मु. दरवी बनाम तहसीलदार हिण्डौन बावत् नामान्तकरण संख्या 561 दिनांक 19.01.1961 ग्राम कस्वा हिण्डौन।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री दुलीचन्द शर्मा, वकील

निर्णय

दिनांक : 19.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 22.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 19.01.1961 के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहॉ पेश गई कि अपीलांट मृतक सूका की सगी पुत्री है तथा सूका की मृत्यु के वक्त मृतक की विधवा श्रीमती रामौती एवं पुत्री स्वयं अपीलांट जिन्दा थी। जो मृतका के वारिसान थे। नामांतरकरण संख्या 561 रेस्पो. के पिता स्व. मूला के नाम दर्ज व स्वीकृत नहीं हो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2013 से बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट मृतक सूका की सगी पुत्री है तथा सूका की मृत्यु के वक्त मृतक की विधवा श्रीमति रामौती एवं पुत्री स्वयं अपीलांट जिन्दा थी। नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 19.01.1961 रेस्पो. के पिता स्व0 मूला के नाम दर्ज व स्वीकृत नहीं हो सकता। हरगोबिन्द के तीन पुत्र सूका, मूला, गंगाधर थे। नामां. संख्या 561 व उसके आधार पर हुए इन्द्राज राजस्व अभिलेख शून्य थे तथा मूला की मृत्यु होने पर रेस्पो. एवं उसकी मॉ पूनी के नाम हुए इन्द्राज भी वॉईड हैं। जिसके कारण रेस्पो. को कोई भी अधिकार सूका की सम्पत्ति में प्रतिभूत नहीं होते। स्व. सूका की मृत्यु के समय उसकी वेवा श्रीमती रामौती जिन्दा थी तथा अपीलांट भी मौजूद थी जो कि सूका के प्रथम श्रेणी के वारिसान थे। उनको नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पटवारी हल्का का यह कर्तव्य था कि वह मृतक के वारिसान की विधिवत जॉच करता व उसके नाम नामांतरकरण दर्ज करता परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इन बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया। वर्ष 2004 मे रामौती की मृत्यु हो गई। विवादित आराजी को चाचा मूला को बंटाई पर दे रखी थी। 2011–12 में पता चला कि वह उक्त जमीन को बेच कर जयपुर जा रहे है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अवैधानिक नामांतरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे नामां. में मियाद का बिन्दु आडे नहीं आता है। अपीलांट के हक मैरिट पर तय किये जाने चाहिए। मियाद का बिन्दु अपीलांट के हक को समाप्त करने के लिए नहीं होता है। अपीलांट ने मृतक सूका की वेवा की विधान सभा की निर्वाचक नामावली की नकल प्रस्तुत की तथा जलसिंह, रतन, रामखिलाडी, मॅगती, श्यामा, बत्तू, जाति माली के शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। उक्त मृतक की जाति एवं उसी गॉव के रहने वाले हैं। मृतक व उसके परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। उक्त सभी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 22.03.2013 निरस्त किया जावे तथा नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 19.01.1961 खारिज किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम नामांतरकरण संख्या 561 पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रश्नगत नामांतरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूका की मृत्यु होने पर यह नामांतरकरण दर्ज किया। नामांतरकरण के कॉलम संख्या 16 में अंकित है कि " सूका की मृत्यु हो चुकी है। सूका के कोई औलाद नहीं है। मूला सूका का छोटा भाई है।" तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है कि "आज यह नामांतरकरण व मौजूदगी पटैलान पेश हुआ सूका पुत्र हरगोबिन्द माली के फोत हो जाने व उसके उत्तराधिकारी मुला होना पटेलान ने जाहिर किया। अतः खाता नम्बर 969 का सूका पुत्र हरगोबिन्द की बजाय मुला पुत्र हरगोबिन्द के नाम खातेदारी स्वीकार है।" इससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश के पारित करने से पूर्व सूका की पत्नी बावत् कोई जॉच नहीं की गई। जबकि यदि किसी संतानहीन महिला के पति की मृत्यु हो जाए तब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की *धारा 8 में बताया गया है कि प्रथम सूची के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति की हकदार उसके पुत्र एवं पुत्रियां होते हैं। अगर वह संतानहीन था तो उसकी संपत्ति की हकदार उसकी विधवा पत्नी होती है।* पटवारी की रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक से कोई जॉच नहीं कराई। वारिसान बावत् कोई रिपोर्ट नहीं की गई। औलाद नहीं थी तो सूका का अन्य भाई जो गंगाधर था उसका नाम नामांतरकरण में क्यों नहीं आया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस कौन–कौन थे उनके बारे में स्वयं सूका के छोटे भाई के अलावा परिवार में प्रथम श्रेणी के वारिस कौन–कौन हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर विवेचन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जिसका अभाव है।

6. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2013 में अंकित किया है कि "विवाद ग्रस्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 561 कस्वा हिण्डौन में दिनांक 19.09.1960 को सूका की मृत्यु होने पर पटवारी द्वारा दर्ज किया गया था और नामांतरकरण दर्ज करते समय अपनी कैफियत खाने में पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में सूका को लाऔलाद फौत होने का अंकन किया गया है जिसकी ताईद में भू अभिलेख निरीक्षक तहसीलदार हिण्डौन ने इस नामांतरकरण को मजमे आम में पंच पटेलों की मौजूदगी में मृतक सूका का वारिस मूला को ही माना गया है। यह नामांतरकरण दिनांक 19.01.1961 को तस्दीक होकर भूमि मूला पुत्र हरगोविन्द के नाम दर्ज हो गई उसके वाद मूला फौत होने पर उसके वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के नाम विरासत का नामांतरकरण खुल कर बादतस्दीक होकर जो वर्तमान में जमाबंदी में दर्ज है जिस अपीलांट ने जिस नामांतरकरण संख्या 561

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

की अपील की गई है जिसको करीवन 51 वर्ष हो चुके हैं जिसका डिले कन्डौन के संबंध में कोई कारण अपील मीमौ में दर्ज नहीं किया गया है ना ही अपीलांट के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया है जिससे साबित हो सके की अपीलांट मृतक सूका की पुत्री हो साथ ही जो विधान सभा निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति पेश की गई उसमें सौमोती न होकर रामौती दर्ज है। अपीलांट द्वारा अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। मूला फौत होने जाने के बाद मूला के वारिस यानि रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 व 3 के नाम भी नामांतरकरण खोला गया है, इस बात का अपीलांट को दिनांक 11.10.2012 को जानकारी होना बताया गया है, किन्तु अपील देरी ना होने का कारण अपील मीमौ में दर्ज नहीं है जबकि अपील का समय प्रथम अपील 30 दिवस में होनी चाहिए। 30 दिवस से अधिक का समय का प्रतिदिन देरी का कारण बताना पडता है यहॉ पर अपीलांट द्वारा डिले कन्डौन बावत् कोई कारण अंकित नहीं किया गया मात्र ग्रामीण परिवेश व अनपढ होना जाहिर किया गया है जो मानने योगय नहीं है क्योंकि 51 वर्ष दौराने अपनी खातेदारी की भूमि को खातेदार समय–समय पर राज सरकार को लगान अदा खातेदार द्वारा ही करना पडता है तथा इन वर्षों के दौरान भूमि का भू0 प्रबंध विभाग द्वारा नवीन आराजीयात के नवीन नम्बरान दर्ज किये गये तद उपरान्त भू0 प्रबंध विभाग द्वारा कच्चा पक्का पर्चा वास्ते सुनवाई हेतु वितरण किये गये थे इस प्रकार से अपीलांट द्वारा यह कहना के इसे 11.10.2012 को ही मालूम हुआ है अपीलांट द्वारा अपील को देरीना पेश करने के कारण को सावित करने में नाकाम रही है। अतः अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।" सूका की पत्नी बावत् मौखिक व्यक्तियों द्वारा शपथ पत्र पेश किये। दूसरा पक्ष पत्नी का नाम रामोती के स्थान पर सामोती बताता है। ऐसी स्थिति में तथ्यों की जॉच की जानी चाहिए किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान के जॉच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के निर्णय को उचित माना जाना विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में छोटे भाई के अलावा प्रथम श्रेणी वारिसान अन्य भाई/पत्नी/पुत्री बावत् भी जॉच कर ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण भरते समय मृतक सूका के प्रथम श्रेणी वारिसान की जॉच नहीं की गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य का विवेचन नहीं किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि कोई भी पक्ष अनसुना नहीं रहे और प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णित हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण मियाद के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बिन्दु पर न किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलांट की अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 22.03.2013 एवं तहसीलदार हिण्डौन का नामांतरकरण संख्या 561 दिनांक 19.01.1961 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सूका की विरासत बाबत् गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर